वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग—4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) कोरिया संभाग मनेन्द्रगढ़ द्वारा जिला एवं वनमंडल कोरिया अंतर्गत अमरपुर से चिरमिरी मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य में कुल 10.469 हे. (संरक्षित वन 3.031 हे., आरक्षित वन 7.321 हे. एवं राजस्व वन 0.117 हे.) वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 08/11/2019
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

(राकेश चतुर्वेदी)
भा.व.से.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स्, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–705/ 2782 रायपुर, दिनांक 11 /11/2019

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for Amarpur to Chirmiri Road Widening & Upgrading area 10.469 ha.**
पंजीयन क्रमांक – **FP/CG/Road/ 8090/ 2014**

संदर्भः – मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा. चि./ न. क्र.–89/ 2018/392 दिनांक 27.02.2018, पत्र क्रमांक 2019/967 दिनांक 14.06.2019 एवं पत्र क्रमांक 2019 / 2354 दिनांक 18.10.2019

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त द्वारा अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है :–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01) – कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) कोरिया संभाग मनेन्द्रगढ़ द्वारा जिला एवं वनमंडल कोरिया अंतर्गत अमरपुर से चिरमिरी मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य में कुल 10.469 हे. वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु नवीन चेक लिस्ट अनुसार वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यपवर्तन की मांग की गई है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 02 से 11 एवं 11ए, 11बी) आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत अमरपुर से चिरमिरी रोड उन्नयन कार्य एवं चौड़ीकरण कार्य में कुल 10.469 हे. वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु आवेदक नोडल कार्यालय में आनलाईन प्राप्त हुआ है। आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क रू. 24,000/– जमा कराया गया है। आन लाईन क्रमांक FP/CG/Road/ 8090/ 2014 आबंटित है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 12) – प्रस्तावित अमरपुर से चिरमिरी मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य में संरक्षित वन 3.031 हे., आरक्षित वन 7.321 हे. एवं राजस्व वन 0.117 हे. कुल वन भूमि 10.469 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 13) – प्रस्तावित अमरपुर से चिरमिरी मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य में तह. बैकुण्ठपुर ग्राम अमरपुर एवं टेंगनी में खसरा क्रमांक 700, 209, 236, 193, 147 एवं 33 में कुल 4.41 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है, जो राजस्व अभिलेख में सड़क रास्ता मद दर्ज है। यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 14 एवं 268, 269) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है। साथ ही एफ.एम.आई.एस द्वारा जारी एवं वन मंडलाधिकारी, कोरिया वनमंडल, बैकुण्ठपुर द्वारा सत्यापित वन आवरण मानचित्र भी लगाया गया है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 15 से 17) – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 18 से 23) – प्रपत्र – 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 2178.70 लाख रू. बतायी गई है । यूजर एजेंसी ने कथन किया है कि प्रस्ताव में न्यूनतम वन क्षेत्र की मांग की गई है तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। मार्ग की कुल लंबाई 12.40 कि. मी. है जिसमें से वन क्षेत्र में मार्ग की लंबाई 8.627 कि. मी. है और चौड़ाई 12 मीटर रखी गई है। राजस्व क्षेत्र में 3.773 कि.मी मार्ग आवेदक संस्थान द्वारा बनाया जा चुका है

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 24 से 42) – 19 पृष्ठीय टीप यूजर एजेंसी द्वारा दी गई है। तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सरगुजा परिक्षेत्र अंबिकापुर द्वारा जारी की गई है जो प्रस्ताव पृष्ठ 26 पर लगा है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 43) –यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 44 से 46) – यूजर एजेंसी का प्रमाण पत्र संलग्न है। पूर्व से स्थापित मार्ग में ही चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है। प्रस्तावित वन भूमि परियोजना के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है – इस आशय का कथन वन मंडलाधिकारी कोरिया ने चेक लिस्ट क्र. 26 के अंतर्गत प्रपत्र–भाग 2 के बिन्दु 13 पर किया है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 47 से 64) – यूजर एजेंसी का कथन है कि पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है चूँकि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार के बिन्दु क्रमांक 7 एफ में उल्लेखित विवरण के अंतर्गत प्रस्तावित मार्ग नहीं है।

नोडल कार्यालय का कथन है कि बिन्दु 7 एफ अनुसार 30 कि.मी से अधिक की लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग होने पर उनमें चौड़ीकरण का कार्य करने पर ही पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। चूँकि इस प्रकरण में लंबाई 12.40 कि.मी ही है अतः पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 65 से 73) – अमरपुर से चिरमिरी मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि के अंतर्गत विदोहित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या 562 नग प्रस्तावित है। वृक्षों के प्रजातियों की एक पृष्ठीय सूची प्रस्ताव पृ. 65 पर लगी है।

बि.क्र. 13. कास्ट बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 74 से 79) – प्रस्ताव 20 हे. के कम होने के कारण कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। आवेदक संस्थान ने CBA लगाते हुए CB Ratio 1:3.64 दर्शित किया है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 80 से 84 तक) – प्रस्ताव में आवेदित क्षेत्र में प्रभावित 10.469 हे. वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम ढोढीबहरा, तह. बैकुण्ठपुर अंतर्गत खसरा नं. 185 रकबा 14.40 हे. में से कुल 10.469 हे. क्षेत्र पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कोरिया द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 26.06.2018 प्रदाय किया गया है। प्रस्तावित भूमि का खसरा–पंचशाला एवं मानचित्र सहित अनापत्ति प्रमाण संलग्न है। कुल 10.469 हे. क्षेत्र पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये स्थल उपयुक्तता का प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी कोरिया द्वारा जारी किया गया है जो प्रस्ताव पृष्ठ 163 ए पर देखा जा सकता है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 85 से 118) – क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 10.469 हे. राजस्व भूमि की डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपार्ट संलग्न है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 119 से 160) – प्रस्ताव में आवेदित क्षेत्र में प्रभावित 10.469 हे. वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम ढोढीबहरा, तह. बैकुण्ठपुर अंतर्गत खसरा नं. 185 रकबा 14.40 हे. में से कुल 10.469 हे. क्षेत्र पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कोरिया द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 26.06.2018 प्रदाय

किया गया है। कुल 10.469 हे. क्षेत्र पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये स्थल उपयुक्तता का प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी कोरिया द्वारा जारी किया गया है जो प्रस्ताव पृष्ठ 163 ए पर देखा जा सकता है। समतुल्य राजस्व भूमि 10.469 हे. का उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र सहित योजना तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न है। स्वीकृति उपरांत तत्समय लागू दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि आवेदक संस्थान से ली जायेगी।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 161 से 163ए) – वन मंडलाधिकारी कोरिया द्वारा हस्ताक्षरित कुल 10.469 हे. राजस्व भूमि का वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव पृष्ठ 163 ए पर दर्शित है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 164) – वन मंडलाधिकारी कोरिया के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 165) – लागू नहीं।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 166) – लागू नहीं।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 167) – प्रस्ताव पृष्ठ 167 अनुसार गैर वनभूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकरण में समतुल्य राजस्व क्षेत्र 10.469 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाना है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 168) – प्रस्ताव पृष्ठ 168 अनुसार कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है। आवेदक संस्थान के प्रमाण पत्र पर वन मंडलाधिकारी कोरिया द्वारा भी हस्ताक्षर किया गया है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 169) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान प्ठड नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 170) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 171) – आवेदक संस्थान का कथन है कि प्रस्ताव अंतर्गत पूर्व से ही निर्मित मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य किया जाना है जिसमें किसी भी ग्रामीणों का विस्थापन नहीं किया जायेगा। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 65 एवं 172 से 178) – भाग–2 पर वन मंडलाधिकारी कोरिया द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार साईट क्वालिटी मिक्स IVb क्वालिटी का वन स्थित है। वनो का घनत्व 0.5 से कम है। आवेदित क्षेत्रों में वृक्षो के विवरण के विरूद्ध कुल 562 वृक्ष दर्शाये गये है। मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा के संदर्भ पत्र दिनांक 14.06.2019 में उल्लेख किया गया है कि 562 वृक्षों का विदोहन किया जायेगा। प्राकृतिक पुनरूत्पादन की स्थिति प्रचुर है। प्रस्तावित वन भूमि परियोजना के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। भाग–3 पर मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर द्वारा वन मंडलाधिकारी कोरिया वनमंडल के सुझाव से सहमत होते हुए जनहित में प्रस्ताव की अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 179) – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी कोरिया एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 180 एवं 181) – प्रस्तावित क्षेत्र में प्रभावित 10.469 हे. वन एवं राजस्व वन दूरी 12.40 कि.मी. अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत–पोटेडांड का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 182) – कोरिया वन मंडल में कुल वन भूमि 1778. 222 वर्ग कि.मी. है। वनमंडलाधिकारी कोरिया का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 183) – कोरिया वन मंडल के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृत 31 प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि 1843.831 हे. है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 184) – स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि निरंक दर्शित है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 185) – आवेदित वन भूमि के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कोरीडोर या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति नहीं है। वन मंडलाधिकारी कोरिया एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 186) – खनन प्रकरण नहीं है। अतः इनकी आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 187 से 193) – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर कोरिया द्वारा दिनांक 26.08.2017 को वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया गया है। वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र के साथ अनुविभाग अधिकारी (राजस्व) बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ.ग. द्वारा जारी अनुविभागीय स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण एवं ग्राम पंचायत पोटेडांड का भी कार्यवाही विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 194 से 195) – अमरपुर से चिरमिरी मार्ग उन्नयन हेतु एवं चौडीकरण में 10.469 हे. वनभूमि प्रभावित हो रही है जिसमे 0.117 हे. राजस्व वन है। राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी परियोजन हेतु व.सं.अ. 1980 के तहत् व्यपवर्तन हेतु कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरिया द्वारा दिनांक 02.02.2013 को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 196) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 197) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 38. I detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 198 से 200) – प्रस्तावित क्षेत्र से भूमि की उर्वरकता हेतु मिट्टी का परीक्षण सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी से कराया गया है जिसकी मिट्टी नमूना जांच रिपोर्ट संलग्न की गई है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 201) – वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने का प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया है ।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 202) – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 203) – बिन्दु क्रमांक 2 अनुसार विवरण पुनः दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 204) – वन मंडलाधिकारी, कोरिया वनमंडल द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुशंसा की गई है। यह खनन प्रकरण नहीं है तथा 10 कि.मी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, हाथी कोरीडोर भी स्थित नहीं है। वन मंडलाधिकारी

एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 205) – प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 206 से 272) – अ) वनस्पति मानचित्र एवं वन प्रकार वार मानचित्र संलग्न है। ब) प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–

1. प्रस्ताव 03 प्रतियों में
2. संदर्भित पत्रों की छाया प्रति
3. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट (प्रस्ताव में संलग्न)
4. भाग–4
5. टाईम लाईन

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़